न्यायालय–श्री मानवेन्द्र सिंह, मुंसिफ, नरकटियागंज
स्वत्व वाद सं0–121/2023

अफताबुद्दीन एवं अन्य...वादीगण

बनाम

शेख सुनाद एवं अन्य...प्रतिवादीगण

DATE	**ORDER**	**REMARKS**
02.06.2026	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। प्रतिवादी सं0–02 से 07 की ओर से अंदर धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत दाखिल आवेदन दिनांक 11.05.2026 को उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचालित कर कहा गया कि प्रतिवादीगण सुदुर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले मजदूर व्यक्ति है एवं अपने जीवकोपार्जन हेतु हमेशा बाहर दूसरे राज्य में रहते है। प्रतिवादीगण को बाहर रहने के कारण उन्हें वर्तमान वाद की कोई जानकारी नहीं हुई। प्रतिवादीगण को किसी भी प्रकार का नोटिस या अखबार की जानकारी नहीं होने के कारण ससमय वर्तमान वाद में उपस्थित नहीं हो सके, जिस कारण न्यायालय द्वारा दिनांक 30.08.2024 के आदेश से उक्त प्रतिवादीगण के विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया गया है। प्रतिवादीगण जानबूझकर ससमय इस वाद में उपस्थित नहीं हुए है, बल्कि परिस्थितिवश विलंब हो गया है। लेहाजा न्यायहित में दिनांक 30.08.2024 का आदेश रिकॉल नहीं होता है तो प्रतिवादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी एवं न्याय से वंचित हो जाएंगे। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि उक्त तथ्यों के आलोक में आदेश दिनांक 30.08.2024 को न्यायहित में वापस लेते हुए प्रतिवादी सं0–02 से 07 का आवेदन दिनांक 11.05.2026 को स्वीकृत करने की कृपा की जाय। वादीगण की ओर से प्रतिवादी सं0–02 से 07 के आवेदन का मौखिक विरोध किया गया तथा आवेदन खारिज योग्य बताया गया है। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद सुनवाई हेतु नियत है। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी भी वाद का निस्तारण उभय पक्षों को सुनकर किया जाना चाहिए। जिससे वाद का	

न्यायालय–श्री मानवेन्द्र सिंह, मुंसिफ, नरकटियागंज
स्वत्व वाद सं0–121/2023

अफताबुद्दीन एवं अन्य...वादीगण

बनाम

शेख सुनाद एवं अन्य...प्रतिवादीगण

लगातार 02.06.2026	निस्तारण अंतिम रूप से किया जा सके तथा वादों की बहुलता को रोका जा सके। प्रतिवादी सं0–02 से 07 को अपना पक्ष प्रस्तुत कर वाद में संघर्ष करने का अवसर देना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः न्यायहित में न्यायालय आदेश दिनांक 30.08.2024 को मो0–2000 रूपये हर्जे पर वापस लेते हुए प्रतिवादी सं0–02 से 07 का आवेदन दिनांक 11.05.2026 को स्वीकार किया जाता है। आगामी दिनांक 10.06.2026 वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित मुंसिफ नरकटियागंज	